



Ref :: SD:249/250/11/12::2025-26

13.09.2025

The Vice President BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street MUMBAI - 400 001 Scrip Code: 532483	The Vice President Listing Department National Stock Exchange of India Ltd EXCHANGE PLAZA Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] MUMBAI - 400 051 Scrip Code: CANBK
---	--

Dear Sir/Madam,

Sub: Election of One Director of The Bank from amongst Shareholders other than the Central Government – Newspaper Publication

Ref: SD:246/247/11/12::2025-26 dated 12.09.2025

We enclose herewith the copy of newspaper publication in Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Vijay Karnataka (Kannada) on 13.09.2025.

This is for your information and records.

Yours faithfully,

**SANTOSH KUMAR BARIK
COMPANY SECRETARY**

सचिवीय चवभाग
प्रधान कार्यालय
112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002
E-Mail - hosecretarial@canarabank.com

Secretarial Department
Head Office
112 J C Road, Bengaluru - 560002
www.canarabank.com

F +91 80 22248831
T +91 80 22100250

Coal min reviews 15% VGF cap for gasification projects

RAGHAVENDRA KAMATH
Mumbai, September 12

THE COAL MINISTRY on Friday said it is reviewing the 15% clause in viability gap funding (VGF) in coal gasification projects.

Under the VGF scheme, 15% of the capital expenditure of a project or any specified maximum amount is funded by the government.

In the first category, for government projects, projects receive a grant of up to ₹1,350 crore, or 15% of the project cost, whichever is lower, is funded.

In the second category, for private and public sector companies, grants are capped at ₹1,000 crore, or 15% of the project cost, whichever is lower, whereas in the third category, for small-scale projects, ₹100 crore, or 15% of the cost, whichever is lower, is funded.

Speaking during a roadshow on coal gasification in Mumbai, additional coal secretary Rupinder Brar said the coal ministry is in talks with the



The coal ministry promotes gasification through a financial incentive scheme of ₹8,500 crore, with the goal of achieving 100 million tonne of coal gasification by 2030

Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) on the usage of bi-products such as ethanol, methanol and others. She, however, refused to say whether there will be any revision in the cap.

"We are in talks with MoPNG because it is the domain ministry for the

utilisation of products including ethanol and methanol," she added. The coal ministry promotes gasification through a financial incentive scheme of ₹8,500 crore, with the goal of achieving 100 million tonne of coal gasification by 2030.

The ministry is looking to organise roadshows in cities

such as Hyderabad and select international locations on coal gasification in surface and underground technologies.

"It is a great business opportunity, given that India has billions of dollars of coal. So it's important for us and the industry to join hands, to leverage the resources," Brar added.

SC upholds CIL's 2006 interim policy

THE SUPREME COURT on Friday upheld the validity of Coal India Limited's interim coal policy of 2006 which imposed a 20% price increase on coal supplied to non-core sector industries.

In a major victory to PSU Coal India, the top court allowed its appeal and set aside the Calcutta High Court's 2012 decision which struck down the policy.

A bench comprising Justices J B Pardiwala and R Mahadevan held, "The high court committed an egregious error in passing the impugned judgment. We are left with no other option but to set aside the impugned judgment and order dated April 4, 2012 passed by the High Court. In the result, the appeal succeeds and is hereby allowed."

"We find that the question of validity of the Interim Coal Policy was important to be addressed, therefore, we allow the I.A... we find the Interim Coal Policy to be valid.


As a consequence, the request for refund by the respondents' is dismissed," the bench added. —PTI

Jagdeep Chhokar, founder of ADR, passes away at 80

EXPRESS NEWS SERVICE
New Delhi, September 12

JAGDEEP S CHHOKAR, a co-founder of the Association for Democratic Reforms (and an advocate for electoral reforms, died after a heart attack early Friday. He was 80. Chhokar, a retired IIT-Ahmedabad professor, founded ADR along with colleagues in 1999, and led its efforts to increase transparency in politics.

In a statement, ADR said Chhokar passed away at 4am on Friday. He donated his body to Lady Hardinge Medical College. "A respected academic, civic activist, lawyer, engineer and conservationist, Prof Chhokar's life was distinguished by his commitment to strengthening democratic governance and promoting transparency in Indian public life. To those who knew him, he was more than an advocate for clean politics, he was a generous mentor, an incisive thinker, and a warm friend," ADR said in a statement. The statement added: "Prof Jagdeep Chhokar's vision reshaped the way India thinks about elections and accountability. His absence



Chhokar founded ADR in 1999

leaves a void, but his example will continue to inspire all who strive for a stronger and more vibrant democracy."

Over the past nearly three decades, ADR's efforts have led to several notable SC judgments having an impact on elections, including the 2002 judgment that made it mandatory for Lok Sabha and State Assembly elections candidates

to declare their pending criminal cases, finances, and educational background.

In February 2024, the SC held the electoral bond scheme unconstitutional in a case in which ADR was one of the petitioners. In April 2024, another judgment on an ADR petition led to the introduction of a new system for checking and verifying EVMS.

KERALA'S URBAN POPULATION TO TOUCH 90% BY 2035



Union minister of housing and urban affairs Manohar Lal and Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan during the inauguration of the two-day Kerala Urban Conclave 2025, in Kochi, on Friday. Vijayan said Kerala, which has a higher urban growth rate than the national average, is preparing to address the challenges of urbanisation

'India to soon surpass US in metro rail network'

PRESS TRUST OF INDIA
Kochi, September 12

UNION MINISTER FOR Housing and Urban Affairs Manohar Lal Khattar on Friday said India will soon overtake the United States to become the second-largest country in metro rail connectivity.

He was speaking at the inaugural session of the two-day Urban Conclave organised by the Kerala Local Self-Government Department (LSGD) here as part of framing an urban policy for the state.

Khattar said India currently ranks third after China and the US in metro rail network length.

"At present, metro services are operational in 24



cities covering 1,065 km. Soon, we will surpass the US, which has 1,400 km of metro network. Five more projects, adding 955 km, are in the pipeline," he said.

The minister said India's

urbanisation rate, 20% in the 1960s, had risen to 30% by 2027. "By 2047, when India celebrates 100 years of Independence, urbanisation will reach 50%," he said.

Highlighting e-mobility as

a key component of urban development, Khattar said 10,000 new buses have been ordered. Road development will also be taken up under the urbanisation drive, he added.

On the 'Swachh Bharat' mission, he said all large and small cities are regularly evaluated for cleanliness.

"Since some cities frequently figure at the top, we have decided to introduce a 'Super Swachh League'. Cities consistently on top will be included in it, while a separate league will be created for cities that regularly rank low," he said.

Khattar stressed that civic bodies should not rely solely on central government revenue for urban projects but

also mobilise resources from their assets and tax income.

He urged the Kerala government to sign an MoU with the Centre for implementing the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). "Under the second phase of PMAY, we aim to provide three crore houses," he said.

The minister also emphasised the need for civic bodies to adopt digital technology to deliver services to citizens.

Praising the Urban Conclave as a model for other states, Khattar said Kerala was witnessing rapid urbanisation. "Ministers from Kerala spoke to me about the rapid transit system. I told them to submit the Detailed Project Report (DPR), and we will look into it," he said.

Revoke order on mining of atomic minerals: Stalin to Centre

PRESS TRUST OF INDIA
Chennai, September 12

TAMIL NADU CHIEF Minister M K Stalin on Friday urged the Centre to immediately withdraw the September 8 Office Memorandum exempting the requirement of public consultation for all mining projects of atomic minerals.

Also, he reiterated Tamil Nadu's commitment to contributing to the nation's strategic and defence requirements, as has always been done in the past.

The Office Memorandum (internal communication) was issued by the Environment Impact Assessment Division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, dispensing with the requirement of public consultation for all mining projects of atomic minerals notified in Part B and critical and strategic minerals notified in Part D of the First Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act.

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA
NAAC Accredited 'A' Grade University
MAHENDERGARH - 123031 (HARYANA)
Free UPSC/HCS Coaching for SC and OBC candidates
Dr. Ambedkar Centre of Excellence (DACE), Central University of Haryana, Mahendergarh, invites online applications from SC and OBC candidates for the entrance test for free coaching for the Civil Services Examination. A stipend of Rs. 4000/- per month will be provided to 100 SC and OBC admitted students by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The last date for application submission and other details are available on the website: (https://listwr.com/UZQKp). Program Coordinator, DACE

PSB Parivaar Family Banking Savings Product
Link upto 6 Family Savings Accounts
Flexibility in Minimum average balance maintenance*
Free Premium Debit Card
No NEFT/RTGS/SMS charges*
Locker rent discount*
CONNECTING ACCOUNTS SAVING SMARTER GROWING TOGETHER
1800 419 8300
*T&C apply.

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
Together We Can
H.O.: 112, J C Road, Bengaluru-560 002 www.canarabank.com

ELECTION OF ONE DIRECTOR OF THE BANK FROM AMONGST SHAREHOLDERS OTHER THAN THE CENTRAL GOVERNMENT

The Extraordinary General Meeting of the Bank convened on 25th September, 2025 solely for the purpose of election of One Shareholder Director stands cancelled as there was only one valid nomination against ONE vacancy. Brief details of the shareholder director of the Bank deemed to have been elected as Director with effect from 13th September 2025 under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 are as under:

Name and Address of the Candidate	Date of Birth & Age (Years)	Educational Qualification	Special Knowledge / Experience
Shri. Balakrishna Raghavendra Rao	29.06.1963 62 Years	M.Sc-Tech	Banking

Place : Bengaluru
Date : 12.09.2025
For Canara Bank
Company Secretary

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India
Asset Recovery Management Branch, 1st Floor, Plot No. 50, Srinagar Colony, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500073. Phone : 040-23755686/23745686 E-Mail : hyd.arn@kbtbank.com Website : www.karnatakabank.com CIN : L85110KA1924PLC001128

SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged /charged to the secured Creditor, the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Karnataka Bank Ltd. The Secured Creditor will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" on 17-08-2025 for recovery of dues to the Karnataka Bank Ltd, from following Borrowers/Guarantors/Co-Obligants

(1) SI.No.1: Name & Address of Borrowers/Mortgagors/Guarantors, Date of Possession and Details of Secured Debt. (1) Mr. Ponnambalam Chandra Sheker, S/o Mr. S. Ponnambalam, (2) Mrs. C S Vijaya Lakshmi, W/O Mr. Ponnambalam Chandra Sheker, both (1) and (2) are residing at No. 1-9-8, Bharathi Nagar Colony, Temple Alwal, Secunderabad - 500010 being borrowers/guarantors/co-obligants. Date of constructive Possession: 12-08-2025. Details of Secured Debt: Rs. 47,49,976.49 (Rupees forty seven lakh forty nine thousand nine hundred seventy six and paise forty nine only) out of which i) Rs. 9,50,805.94 (Rupees nine lakh fifty thousand eight hundred five and paise ninety four only) along with future interest from 01.09.2025 plus costs under PSOD A/c No.7337000100015301 and ii) Rs. 37,99,170.59 (Rupees thirty seven lakhs ninety nine thousand one hundred seventy and paise fifty nine only) along with future interest from 03.06.2025 plus costs under T/L A/c No.7337001600030601

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that part and parcel of Residential Land bearing Plot No.07, Sy.No. 203A & 209A measuring 170 sq. yards or 142.12 Sq. Mts. Situated at Bharathi Nagar Colony, Alwal Village, Malkajiri Mandal, Alwal GHMC, Rang Reddy Dist., Telangana State along with Residential House bearing No. 1-9-8 (Old No's 9/10/9 and 6-10-9) construction there on belonging to Mr. Ponnambalam Chandra Sheker, bounded by: North: Neighbour's House, South: 33' Wide Road, East: Neighbour's House, West: Part of Plot. No.7.
Latitude & Longitude: 17.504111 & 78.508361
Reserve Price: Rs. 1,18,00,000.00 (Rupees one crore eighteen lakhs only) (Inclusive of 1% TDS)
Earnest Money Deposit: Rs. 11,80,000.00 (Rupees eleven lakhs eighty thousand only)

Karnataka Bank Ltd, Hyderabad Diluskhagar Branch,
Phone: 040-24057517 (G), 9866869333 (BM), 9666675304 (ABM),
(2) SI.No.1: Name & Address of Borrowers/Mortgagors/Guarantors, Date of Possession and Details of Secured Debt. (1) Mr. Sindhya Mahesh Kumar, S/o Mr. Sindhya Krishna and (2) Mrs. Sindhya Sreevani, W/O Mr. Sindhya Mahesh Kumar, both are addressed at H.No. 19-01-828, Outside Doodh Bowli, Maharaajunji, Bahadurpura, Hyderabad 500664 being borrowers/guarantors/co-obligants. Date of constructive Possession: 06-05-2025. Details of Secured Debt: Rs. 1,05,63,468.13 (Rupees one crore five lakhs sixty three thousand Four hundred sixty eight and paise thirteen only), under Term Loan A/c No.3317001600271201 plus interest from 17.08.2025 plus costs.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that part and parcel of Residential land property, admeasuring 235 Sq. yards (Actual available after affect of road - 201.40 Sq. yards), equivalent to 196.48 Sq. meters, bearing Municipal No. 19-1-828/A, situated at Maharaajunji, Doodh Bowli, Hyderabad, Telangana State, together with Residential building constructed thereon. The property belongs to Mr. Sindhya Mahesh Kumar & Mrs. Sindhya Sreevani. The property is bounded by: East: Portion of House No. 19-1-828/A, West: Portion of House No. 19-1-828/A, North: Portion of House No. 19-1-828/A and Neighbour's House and South: Road.
Location: Latitude & Longitude: 17.351369 & 78.463583
Reserve Price: Rs. 1,00,00,000.00 (Rupees one crore only) (Inclusive of TDS)
Earnest Money Deposit: Rs. 10,00,000.00 (Rupees ten lakhs only)

Karnataka Bank Limited, B N Reddy Branch
[(040-29809333 (G)/ 9848923453 (BM))]
(3) SI.No.1: Name & Address of Borrowers/Mortgagors/Guarantors, Date of Possession and Details of Secured Debt. (1) Mr. Mididoddi Saidulu, S/o Mr. Pullaiah, addressed at 12-260, Meerpeth Telephone Colony, Saroornagar, Hyderabad, Rangareddy - 500097, Telangana and (2) Mrs. Mididoddi Swathi, W/o Mr. Saidulu, addressed at Vinjamoor, Chintha Pally Mandal, Vinjamoor, Nalgonda - 508250, Telangana, being borrowers/guarantors/co-obligants. Date of constructive Possession: 10-06-2025. Details of Secured Debt: Rs. 31,42,716.89 (Rupees thirty one lakhs forty two thousand seven hundred sixteen and paise eighty nine only) under PSTL A/c No.9787001800005101 along with future interest from 21.08.2025 plus costs

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that part and parcel of Residential Flat bearing Flat No. 205, admeasuring 909 Sq. ft., on 2nd Floor, car parking (80 Sq. ft.) with UDS in common land, Residential Complex known as "GMRC RESIDENCY", T. S. R. Nagar, Badangpet Village, Balapur Revenue Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State, PIN Code - 500058 together with other amenities and benefits attached thereon. The property belongs to Mr. Mididoddi Saidulu. The property is bounded by: East: Open to sky, West: Corridor and staircase, North: Passage, Duct and Flat No. 204 and South: Open to sky.
Location: Latitude & Longitude: 17.319327 & 78.528026
Reserve Price: Rs. 34,00,000.00 (Rupees thirty four lakh only)
Earnest Money Deposit: Rs. 3,40,000.00 (Rupees three lakh four thousand only)

The borrower's / mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.
(This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (6) of Rule (8) of Security Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors) For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Website i.e., www.karnatakabank.com under the heading "mortgaged assets for sale".
The E-auction will be conducted through portal www.auctionbazaar.com on 17.10.2025 from 11:00 A.M to 11:20 A.M with unlimited extension of 5 minutes. The intending bidder is required to register their name at M/S. ARCA EMART PVT. LTD. through the website www.auctionbazaar.com and get the user Id and password free of cost and get training online training on E-auction (tentatively on or before 16.10.2025) from M/s. ARCA EMART PVT LTD, 7-1-28/1/A1, PARK AVENUE 1, AMEERPET, Secunderabad Telangana 500016. Website at www.auctionbazaar.com. Contact mobile.No's 9603716999, 9581498999, 8370969696 Email-ID:-contact@auctionbazaar.com, support@auctionbazaar.com.
Date: 12-09-2025
Place: Hyderabad. Sol-Authorised officer Karnataka Bank Ltd

लुधियाना में 5.29 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई

चंडीगढ़, 12 सितंबर (ब्यूरो)।

केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने लोहा और इस्पात क्षेत्र की एक फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ किया है। कंपनी ने 29.43 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाए और 5.29 करोड़ रुपए की जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) चोरी की। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' को धोखाधड़ी से पास करने के लिए बनाई गई यह फर्जी कंपनी मंडी गोबिंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब में स्थित थी। बयान के मुताबिक लुधियाना सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय ने इसका भंडाफोड़ किया। जांच से पता चला कि फर्म ने 29.43 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाए और उन्हें पास किया। इससे 5.29 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हुई।

फर्म ने जीएसटी प्रवर्तन एजेंसियों की जांच से बचने के लिए फर्जी ई-वे बिल और अन्य संबंधित दस्तावेज तैयार किए थे। बयान में कहा गया कि कंपनी के मालिक को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शुक्रवार को आधिकारिक बयान जारी करके संबंधित मामले के बारे में जानकारी साझा की गई।

मंत्री अनिज विज ने पार्टी नेतृत्व पर फिर साधा निशाना, लिखा अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे

चंडीगढ़, 12 सितंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डालकर अपनी ही पार्टी नेताओं पर निशाना साधा है। विज ने अपने समर्थकों से राय मांगते हुए आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंबाला छावनी में 'समानांतर भाजपा' चलाई जा रही है और इसके पीछे 'ऊपर वालों का आशीर्वाद' है। उन्होंने लिखा- 'पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए।'

यह पोस्ट आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया। विज ने लोगों से राय मांगी तो टिप्पणी बाक्स में प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। किसी ने लिखा- 'अनिल विज को रामबिलास शर्मा बनाएगी बीजेपी', तो किसी ने उन्हें सीधे मुख्यमंत्री से बात करने की सलाह दी। यह पहली बार नहीं है जब अनिल विज ने



एक्स पर मांगी लोगों से सलाह। समर्थकों ने की कई तरह की टिप्पणियां।

पार्टी के भीतर की गुटबाजी पर सार्वजनिक तौर पर निशाना साधा हो। अक्टूबर-2024 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भी उन्होंने खुलकर बयान दिया था कि उन्हें हरवाने की साजिश रची गई थी। विज ने आरोप लगाया था कि इस साजिश में कई बड़े लोग शामिल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह सनसनीखेज दावा भी किया था कि उन्हें जान से मारने की योजना बनाई गई थी।

चुनाव परिणाम आने के बाद विज को नाराजगी सार्वजनिक मंचों पर कई बार

सामने आई। वह कहते रहे कि अंबाला छावनी में उनके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से माहौल तैयार किया गया। अब ताजा एक्स पोस्ट को उसी नाराजगी की अगली कड़ी माना जा रहा है।

अनिल विज अक्सर खुले मंच से सवाल उठाते हैं और अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते। ताजा घटनाक्रम ने विज और भाजपा संगठन के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। इससे पहले विज को पार्टी की तरफ से नोटिस भी जारी हो चुका है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विज की इस नाराजगी का पार्टी आलाकमान किस तरह से संज्ञान लेता है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उन्हें खुलकर आलाकमान के सामने अपनी बात रखने की सलाह दे रहे हैं। वहीं, विरोधी दल इस पूरे विवाद को भाजपा की अंदरूनी कलह के सबूत के तौर पर धुनाने की कोशिश में जुट गए हैं।

हर बाढ़ पीड़ित को 45 दिनों के भीतर मिलेगा मुआवजा : मान

चंडीगढ़, 12 सितंबर (ब्यूरो)।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार 45 दिनों के भीतर राज्यभर के सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देना सुनिश्चित करेगी। चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी सरकार किसानों को फसल खराब होने पर देश में सबसे ज्यादा मुआवजा 20 हजार रुपए प्रति एकड़ देगी।

मान ने कहा कि पिछली सरकारों में मुआवजा मिलने में सालों लग जाते थे और फसल के नुकसान से पहले से ही परेशान लोगों को मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। योजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने आदेश दिया कि 13 सितंबर से विशेष गिरदावरी (फसल नुकसान का आकलन) शुरू हो जाए और पूरी प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए। अब से किसानों को मुआवजे के चेक हार्थो-हाथ मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गैर-बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित गांवों में तैनात किया जाएगा ताकि आकलन का काम जल्दी पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी गांव-गांव जाकर



सभी खेतों का निरीक्षण करेंगे, अपनी रपट तैयार करेंगे और चाहे किसी भी फसल का नुकसान हुआ हो, मुआवजा दिया जाएगा। मान ने कहा कि रपट तैयार होने के बाद किसानों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, ताकि रपट में किसी भी त्रुटि को ठीक किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में पूरी फसल नष्ट हो गई है, वहां यह प्रक्रिया केवल एक महीने में पूरी कर ली जाएगी और चेक पहले ही दे दिए जाएंगे।

इसी तरह, जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें भी सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पूरे घर गिर गए हैं, उन्हें 1,20,000 और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त लोगों को 40,000 रुपए मिलेंगे। पहले सरकारें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए केवल 6,800 रुपए देती थीं, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है।



चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित तिरंगा अर्बन पार्क में भारत-पाक युद्ध की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हथियारों के प्रदर्शन के दौरान निशाना साधते पनसीसी कैडेट।

पंजाब राज्य विद्युत निगम को बाढ़ से 102 करोड़ रुपए का नुकसान

चंडीगढ़, 12 सितंबर (ब्यूरो)।

पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को हाल में आई बाढ़ के कारण 102.58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह जानकारी पीएसपीसीएल की प्रारंभिक आकलन रपट में दी गई है। रपट के अनुसार सबसे अधिक नुकसान पठानकोट स्थित अपर ब्यास

डायवर्सन चैनल (यूबीडीसी) जल विद्युत परियोजना को हुआ है, जहां लगभग 62.5 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। बाढ़ के कारण 2,322 वितरण ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे 23.22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं, 7,114 बिजली के खंभे बह गए या नष्ट हो गए, जिससे 3.56 करोड़ रुपए की हानि हुई।

मृत मिली युगांडाई महिला की जान सड़क हादसे में गई थी

चंडीगढ़, 12 सितंबर (ब्यूरो)।

मानेसर में आइएमटी चौक के पास मृत पाई गई युगांडाई महिला के बारे में पुलिस ने कहा कि जब वह सड़क पार कर रही थी तो एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी जिसमें उसकी जान चली गई। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया और चौपटिया वाहन भी बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार यह महिला सात सितंबर को दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर मृत मिली थी। उसकी पहचान उसके पासपोर्ट से युगांडा निवासी 33 वर्षीय नसीमवा मदीना के रूप में हुई। नसीमवा दो साल पहले अध्ययन वीजा पर भारत आई थी और दिल्ली में रह रही थी। वह 'हेयर स्टाइलिस्ट' का काम करती थी व अपने दोस्तों के साथ गुरुग्राम के क्लब और बार में आती थी।

'भारत-इंडोनेशिया संबंधों को मिलेगी मजबूती'

चंडीगढ़, 11 सितंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि भारत-इंडोनेशिया संबंधों को मजबूती प्रदान करने में गीतास्थली कुरुक्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। हरियाणा भगवान श्रीकृष्ण के गीता संदेश को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दुनियाभर में चल रहे संघर्षों के समाधान में गीता की अहम भूमिका है। भारत इसके लिए वैश्विक समुदाय को जागरूक करने की हरसंभव कोशिश कर रहा है, जिसमें बाली में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रकाश पुंज की भांति योगदान देगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, जियो गीता के

बाली में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का हुआ अगाज। विरासत व पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने की अगुवाई।

संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुक्रवार को इंडोनेशिया के बाली में आगाज हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के प्रतिनिधि के तौर पर विरासत व पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। बाली के ऐतिहासिक क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि परिषद में प्रांतीय विधाधिकारी ने कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंहल सहित सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्होंने सदन में पवित्र

गीता को सदन प्रतिस्थापित किया। उन्होंने सदन में कहा कि हरियाणा कृष्ण संकट में 175 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत युद्ध से जुड़े 134 स्थानों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का निर्माण 90 फीसद पूरा हो चुका है, जहां महाभारत से जुड़े हर पहलू को नजदीकी से महसूस करवाया जाएगा।

बाली की प्रांतीय विधाधिकारी ने प्रस्ताव रखा कि ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र की धरती पर उन्हें जमीन उपलब्ध करवाई जाए, जिससे इंडोनेशिया मूल के नागरिक इस तपोभूमि से सीधा जुड़ाव हासिल कर सकें। इसके लिए पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने भरोसा दिलाया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी से चर्चा की जाएगी।

सीमा पार हथियार तस्करी गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

चंडीगढ़, 12 सितंबर (ब्यूरो)।

पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया।

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने 'एक्स' पर बताया कि पुलिस ने उनके पास से 18 पिस्तौल और 1,847 कारतूस बरामद किए। पूरे हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जांच की जा रही है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(आपका सहायक का उपकरण)

प्रीमियम परिवार
पारिवारिक बैंकिंग बचत उत्पाद

अधिकतम 6 पारिवारिक बचत खातों को लिंक करें

न्यूनतम औसत 10% अनुरक्षण में लचीलापन*

नि:शुल्क प्रीमियम डेबिट कार्ड

शून्य एनईएफटी / आरटीजीएस / एसएमएस प्रभार*

लॉकर किराए में रियायत*

खातों को जोड़ें
स्मार्ट बचत करें
साथ-साथ बढ़ें

अनुसूची अ
उस सुरक्षित संपत्ति का विवरण जिसके विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है।

उस सुरक्षित संपत्ति का विवरण जिसके विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है।
खेवट संख्या 497, खतीनी संख्या 816, मुरबा संख्या 6/2 (5-09), निजली घर के पास, सिरसा से हिसार रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 9, गांव पट्टी आवर, तहसील और जिला सिरसा में स्थित 252 वर्ग गज की आवासीय सह बाणिज्यिक संपत्ति का समग्रतः बंधक।
उत्तर: राष्ट्रीय राजमार्ग, दक्षिण: जगतास सिंह का प्लॉट, पूर्व: हरजिंदर कौर का प्लॉट, पश्चिम: कुलदीप सिंह का प्लॉट

श्री जीत सिंह, पुत्र श्री रॉकर सिंह के स्वामित्व वाली संपत्ति

निर्मित दस्तावेजों/प्रतिभूति का विवरण
मूल हस्तांतरण विलेख संख्या 11870 दिनांक 17.01.2019
मूल हस्तांतरण विलेख संख्या 9845 दिनांक 17.01.2018
मूल हस्तांतरण विलेख संख्या 11387 दिनांक 03.01.2019

दिनांक : 25.08.2025

प्राधिकृत अधिकारी: पंजाब नेशनल बैंक

पीपीएससी के दो सदस्यों को दिलाई शपथ

चंडीगढ़, 12 सितंबर (ब्यूरो)।

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार को पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) के दो नवनियुक्त सदस्यों (संजय गर्ग और सरवजीत सिंह धालीवाल) को आधिकारिक सदस्य के रूप में

पद और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई।

मोगा के मूल निवासी संजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे, और मोहाली के सरवजीत सिंह धालीवाल सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने पंजाब राज भवन में समारोह की कार्यवाही का संचालन किया।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
Together We Can

प्रधान कार्यालय, 112, जे.सी. रोड, बेंगलूरु - 560 002 www.canarabank.com

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक के एक निदेशक का चुनाव

बैंक की असाधारण आम बैठक, जो केवल एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के उद्देश्य से दिनांक 25 सितंबर 2025 को बुलाई गई थी। परंतु उक्त एक रिक्ति के विरुद्ध केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ था। इसलिए प्रस्तावित बैठक को रद्द कर दिया गया है। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत दिनांक 13 सितंबर 2025 से निदेशक के रूप में निर्वाचित माने जाने वाले बैंक के शेयरधारक निदेशक का संक्षिप्त वितरण इस प्रकार है: -

उम्मीदवार का नाम और पता	जन्म तिथि और आयु (वर्ष)	शैक्षणिक योग्यता	विशेष ज्ञान / अनुभव
श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव	29.06.1963 62 वर्ष	एम.एस.सी.-टेक	बैंकिंग

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 12.09.2025

कृते केनरा बैंक
कंपनी सचिव

IndusInd Bank
पंजीकृत कार्यालय: इंडसइंड बैंक लिमिटेड, 2401 जनरल चिम्पैया रोड (खावली), पुणे - 411 001, भारत। क्षेत्रीय कार्यालय: विन्नी पुरनगंजन एवं पुनर्निर्माण समूह, 11बी मॉडल, ह्याटा रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टावर, श्रीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

सर्वेफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत नीलामी विक्री सूचना

विन्नीय आगियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आगियों की विक्री हेतु विक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित। इनके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कृषि (कृषियों) और गार्दनीकता (कृषियों) को सूचित किया जाता है कि नीचे बर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी रखी गई हैं, जिनका **भौतिक कब्जा** इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है, जो **"वहाँ है और जैसा है"** के आधार पर, **"ओ कुछ भी है"** के आधार पर, और **"कोई सहारा नहीं"** के आधार पर 07 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम में सुरक्षित ऋणदाता को देय अतिरिक्त ब्याज, स्वामत और अन्य आदि महिंत नीचे उल्लिखित सूची की बसूनी के लिए बेचा जाएगा। उधारकर्ता/गार्दनीकता/नीचे उल्लिखित संपत्तियों की विक्री वेब पोर्टल: www.bankauctions.com के माध्यम में ई-नीलामी के माध्यम में की जाएगी।

खाते/बंधककर्ता/गार्दर का नाम	कुल देनदारियाँ:	संपत्ति के विवरण की तिथि/समय	
मेसर्स गुप्ता मेन्स, श्री आशीष कुमार, श्रीमती पूजा बंसल	31.08.2025 तक रु. 2,56,82,285.84, साथ में 01.09.2025 में अतिरिक्त ब्याज और उस पर लागत, शुल्क और ब्याज	30.09.2025 दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	
सं. सं.	संपत्तियों का विवरण	ई-नीलामी की तिथि और समय	बोली जमा करनी अंतिम तिथि
1.	स्वाभाविक संपत्ति संख्या 72/31, भूखंड नगर, पुरानी हामी रोड के पीछे, लीडमार्क- नार्द मंदिर के पास, जींद, हरियाणा में स्थित, 780 वर्ग गज या 7020 वर्ग फुट क्षेत्रफल, श्री आशीष कुमार के स्वामित्व में।	07.10.2025 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक	06.10.2025 प्रातः 5:00 बजे तक

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण - श्री निर्मलंकुर राव, मोबाइल नंबर 9721779359, ई-मेल: nirmalankur.rao@indusind.com

बि कोई ऋणधारक ही: सुरक्षित ऋणदाता को किसी ऋणधारक की जानकारी नहीं है।
नियम और शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाता अपनी ईमेल/डीएमडी का विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टल: <https://www.bankauctions.com> (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड <https://www.bankauctions.com> पर नाम पंजीकृत करके वि-जुक्त प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से सॉफिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम में जमा करेंगे। **ईएमडी निश्चित/बिना चार्ज में NEFT/RTGS के माध्यम से देय होगी: 00053594604005, IFSC कोड - INDB0000005 या विविध ब्रांच एसेट मैनेजमेंट के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपरोक्त नामिका में उल्लिखित तिथियों को या उपरोक्त पहले शाम 5:00 बजे तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए।** सुनिश्चित/बिना चार्ज में अंतिम तिथि के अंत में अंतिम तिथि को अंतिम तिथि माना जाएगा। 2. इच्छुक, बैंक बिक्री की बसूनी के अंतर्गत स्वामत/अनुरक्षण करके, यदि कोई भी, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को आम, सार्वजनिक के स्वामित्व के संबंध में स्वयं स्वयं रूप से पुष्टीकरण करनी चाहिए और स्वयं निरीक्षण एवं संपर्क करनी चाहिए। संपत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही कई तिथि एवं समय के अनुसार ही किया जा सकता है। 3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईमेल/डीएमडी जमा कर दी है और सॉफिन आईडी और पासवर्ड बनाए, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि से सहारवा की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता **सेसर्स सी 1 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हेमपासन नंबर 0124-4302020/2021 / 2022 / 2023 / 2024**, श्री **निष्पथ कुमार, मोबाइल नंबर +91-7080804466, ईमेल आईडी: support@bankauctions.com** से संपर्क कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न के लिए कार्य विवरण के दौरान सहायक समय में उपर उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)। 4. उद्युक्त बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अंतिम होगी। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/संपत्तियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. विन्नीय नियमों और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com और www.bankauctions.com देखें।

सर्वेफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिवसीय विक्रय सूचना।

उधारकर्ता/गार्दर/बंधककर्ता का नाम	संपत्ति का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड।
उधारकर्ता/गार्दर/बंधककर्ता को एनड्राग्रा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि में पूर्व उपर्युक्त राशि, बसमान ब्याज और महाशक ब्याजों महिंत, जमा कर दें। ऐसा न होने पर संपत्ति की नीलामी/विक्री कर दी जाएगी और देय राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत महिंत बचलू की जाएगी।		
दिनांक: 13.09.2025	स्थान: जींद (हरियाणा)	

punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक
... the name you can BANK upon!
... भारो से प्रतीक !

शाखा कार्यालय:- पीडीडी, ई-मेल: B0035410@PNB.CO.IN
(उधारकर्ता/गार्दर के कानूनी उत्तरदायित्वों को सूचना)
(पंजीकृत डाक द्वारा देय रहती सहित)

सेवा में:
सुखी सुमन राणी, पुत्री श्री जीत सिंह, हिसार रोड, जिंग रोड, पट्टी आवर, जिला सिरसा, हरियाणा 125054.
प्रिय भगोवर/भगोवत्या:
विन्नीय आगियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना।

1. यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि बैंक ने श्री/श्रीमती/सुखी जीत सिंह पुत्र श्री रॉकर सिंह को विन्नीय सहायता के रूप में संपत्ति के खिलाफ सार्वजनिक ऋण के रूप में ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं और उक्त उधारकर्ता/गार्दर (ओ) को बैंक के पक्ष में समय-समय पर उक्त उधारकर्ता/गार्दर (ओ) द्वारा निष्पादित ऋण समस्तियों के संचयन में संविदाबद्ध कर और लागत और अन्य कानूनी रूप से बसूली योग्य बाकाया राशि पर आम ब्याज सहित 30.07.2025 तक बैंक को रु. 44,763,80/- की राशि देनी है।
2. मूलक ने उधारकर्ता/गार्दर के रूप में 02.03.2019 को अनुसूची 'ए' में अधिक विस्तार से वर्णित संपत्ति पर प्रभार/बंधक बनाया था, जो नीचे अनुसूची में अधिक विस्तार से वर्णित दस्तावेजों के तहत है। आप सुखी सुमन राणी 13/0 की जीत सिंह, जिनका उपलब्ध ऊपर किया गया है, मूलक की कानूनी उत्तरदायित्वारी/आनुमयी प्रतिनिधि हैं, जो अनुसूचित संपत्ति की हकदार हैं और इसलिए आप मूलक की बाकाया राशि बैंक को देने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसका विवरण ऊपर धारा 1 में दिया गया है।
3. सुखा व्यवस्था/दस्तावेज/पुष्टि या बैंक के निर्माण और उस पर सुरक्षित राशि के विवरण के साथ-साथ उस संपत्ति का विवरण जिस पर मूलक द्वारा उपरोक्त ऋण के लिए सुखा के रूप में बैंक के पक्ष में सुखा हित बनाया गया है, नीचे अनुसूची में अधिक विस्तार से वर्णित है।
4. यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि बैंक ने श्री/श्रीमती/सुखी जीत सिंह पुत्र श्री रॉकर सिंह को विन्नीय सहायता के रूप में पुनर्मुग्तान में चूक के कारण, विन्नीय परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुखा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 2(1) (ओ) के अनुसार 29.07.2025 तक ऋण को गैर-निष्पादित परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
5. इसलिए, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत संचयन करने के लिए अलग-अलग रूप से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर बैंक को पैरा 1 में ऊपर वर्णित देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर बैंक धारा 13 की उप-धारा 4 और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्राधान्यों के तहत उक्त उपलब्ध सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा।
6. आप सभी को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 13 के अनुसार, आप बैंक की पूर्व सहमति के बिना उक्त सुरक्षित परिस्थितियों को किसी/पट्टे द्वारा हस्तांतरित या अन्यथा निष्पादन नहीं करेंगे।
7. हम आपको ध्यान सर्वेफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (अ) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित करते हैं जो सुरक्षित परिस्थितियों को सुनाने के लिए उधारकर्ता/गार्दर के पास उपलब्ध समय के बारे में बात करता है।
8. यह नोटिस बैंक के ऐसे अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जैसा कि वह कानून के किसी अन्य लागू प्राधान्यों के तहत आवश्यक समझता है।
भवदीय,

अनुसूची अ
उस सुरक्षित संपत्ति का विवरण जिसके विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है।
उस सुरक्षित संपत्ति का विवरण जिसके विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है।
खेवट संख्या 497, खतीनी संख्या 816, मुरबा संख्या 6/2 (5-09), निजली घर के पास, सिरसा से हिसार रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 9, गांव पट्टी आवर, तहसील और जिला सिरसा में स्थित 252 वर्ग गज की आवासीय सह बाणिज्यिक संपत्ति का समग्रतः बंधक।
उत्तर: राष्ट्रीय राजमार्ग, दक्षिण: जगतास सिंह का प्लॉट, पूर्व: हरजिंदर कौर का प्लॉट, पश्चिम: कुलदीप सिंह का प्लॉट

श्री जीत सिंह, पुत्र श्री रॉकर सिंह के स्वामित्व वाली संपत्ति

निर्मित दस्तावेजों/प्रतिभूति का विवरण
मूल हस्तांतरण विलेख संख्या 11870 दिनांक 17.01.2019
मूल हस्तांतरण विलेख संख्या 9845 दिनांक 17.01.2018
मूल हस्तांतरण विलेख संख्या 11387 दिनांक 03.01.2019

दिनांक : 25.08.2025

प्राधिकृत अधिकारी: पंजाब नेशनल बैंक

